न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

नाम पीठासीन अधिकारी –श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आरएएस)उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

प्रकरण संख्या – 198 / 2017(राजस्व वाद)

दायर दिनांक--14.7.2017
फैसल दिनांक – 15/5/18

1--दरसिंग पिता गोतम भगोरा भील
2– रमेश पिता गोतम भगोरा भील
3– बदामी पिता गोतम भगोरा भील
4– पून्या पिता गोतम भगोरा भील
5– हरीश पिता गोतम भगोरा भील
निवासीयान सागवाडा तहसील सागवाडा

(वादीगण)

बनाम

1– तहसीलदार सागवाडा जिला डूँगरपुर

(प्रतिवादी)

दावा बाबत 136 एल0आर0एक्ट एवं धारा 88 ,209 आरटीए

निर्णय

वाद वादी संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में
वर्णित पेढीनामा के अनुसार मूल व्यक्ति नानजी इसके दो पूत्र कुरा एंव गौतम
है।तीनों की मृत्यु हो गई है । गोतम की मृत्यु दिनांक 10.3.1990 में हुई है । गौतम
के मरने के बाद वादीगण उनके वारीसान हैं । गौतम पिता नानजी की सम्मत्ति पर
वादीगण काबीज हैं। मौजा सागवाडा की जमाबन्दी संवत 2022 में खाता संख
425 / 414 में खेत कुल 14 रकबा 6बीघा 14 बिस्वा भूमि के खातेदार वादीगण के
पिता गौतम पिता नानजी भील का नाम दर्ज है । गौतम के वारिसान में कुरिया और
वैसात नाम का कोई सदस्य नहीं है । गौतम की मृत्यु 10.3.90 में हुई है परन्तु
गौतम की मृत्यु 1971 में होना दर्ज कर दिनांक 17.7.71 में कुरिया व वैसात पिता
गोतम के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया हैं जिसमें वादीगण अनभिज्ञ है और
वादीगण के पिता भी जिवित थे । गौतम की मृत्यु दिनांक 10.3.90 में हुई है ।
दिनांक 17.7.71 में प्रमाणित नामान्तरकरण गलत दर्ज किया गया है । वादीगण के
पिता की मृत्यु हो जाने से वादीगण के पिता के स्थान पर वादीगण के नाम खाते में
दर्ज किए जाने थे किन्तु वादीगण का नाम दर्ज होकर वर्तमान जमाबन्दी खाता
संख्या 198 / 182 में कुरिया वैसात पिता गोतम का नाम अंकन किया गया है ।

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति

गौतम के पूत्र कुरिया व वैसात नहीं है । भूल से वादीगण के नाम के स्थान पर कुरिया व वैसात का नाम खाते में दर्ज हो गया है जिसका इन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण का नाम खाते में दर्ज किया जाना आवश्यक है । वादीगण द्धारा वाद के अन्त में मौजा सागवाडा के खाता संख्या 248/226 संवत 2074 में वर्णित भूमि में कुरिया व वैसात का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जाना एंव नामान्तरकरण संख्या 993 दिनांक 17.7.1971 का अंकन गलत होने से निरस्त कर वादीगण के नाम नामान्तरकरण प्रमाणित करने का निवेदन किया गया है ।

वादीगण द्धारा वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए जमाबन्दी संवत 2074 ,नामान्तरकरण संख्या 993,गोतम का मृत्यु प्रमाण पत्र,खतौनी बन्दोवस्त संवत 2022,खतौनी आसामीवार ,फर्द तुलनात्मक ,राशनकार्ड एंव पार्षद नगरपालिका वार्ड संख 19 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी को सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादी की ओर से जवाब मय पर्चा मौका के साथ प्रस्तुत किया गया । पर्चा मोका में बताया है कि नामान्तरकरण संख्या 113 जो कि गोतम पिता नानजी की मृत्यु के बाद विरासत में दर्ज हुआ है जिसमें कुरा वैसात पिता गौतम दर्ज हुआ है लेकिन गौतम के सही वारीसान पांच पूत्र वरसेंग, रमेश,बदामी,पूनिया,हरीश पिता गोतम एवं सात पुत्रियां कमला ,गवरी कारी दीतं,सत,अमलाली,हुकी,एवं गोतम की पत्नि लीलं है जिसमें लीलं की मृत्यु हो गई है । पर्चा मोका में यह भी बताया है कि वाद ग्रस्त भूमि पर वादीगण काबिज होकर वर्तमान समय तक काश्त कर रहे हैं ।

वादी की ओर से गवाह वरसेंग ,वैसात एंव बदामीलाल के बयान कराये गये। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार ने जिरह एंव कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हुए बहस हेतु सहमती दी ।

विद्धान अभिभाषक वादीगण एंव पैरोकार की बहस सुनी गई । वादीगण के अभिभाषक ने वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए हमारा ध्यान प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1ए मृत्यु प्रमाण पत्र ,प्रदर्श – 2 नामान्तरकरण ,प्रदर्श –3 नकल जमाबन्दी मौजा सागवाडा संवत 2061 खाता संख्या 198/182,प्रदर्श – 4 बन्दोवस्त जमाबन्दी नकल ,प्रदर्श – 5 एवं प्रदश्र– 6 खतौनी आसामीमार ,प्रदर्श– 7 जमाबन्दी खाता संख्या 1093/175, प्रदर्श–8 एवं प्रदर्श – 9 खतौनी बन्दोवस्त ,प्रदर्श–10 फर्द तुलनात्मक एंव प्रदर्श 11 से 15 राशनकार्ड की नकल की ओर आकर्षित कर बहस समाप्त करते हुए मौजा सागवाडा के खाता संख्या 248/226 संवत 2074 में वर्णित भूमि में कुरिया व वैसात का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जाना एंव नामान्तरकरण संख्या 993 दिनांक 17.7.1971 का अंकन गलत होने से निरस्त कर वादीगण के नाम नामान्तरकरण प्रमाणित करने का निवेदन किया गया है।

फोटो स्टेट प्रमाणित की

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार ने अपनी बहस में जवाब एंव जवाब के संलग्न पर्चा मौका में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए सहमती व्यक्त की गई ।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया तथा अभिभाषक वादी एंव पैरोकार भी बहस पर मनन किया ।

वाद के साथ उल्लेखित पेढीनामा ,नगरपालिका पार्षद के प्रमाण पत्र एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयान के अनुसार वादीगण गोतम के वारिसान है एवं पर्चा मोका अनुसार वादीगण के अतिरिक्त सात पूत्रियां भी वारिस है ।वादीगण के द्धारा वाद पत्र में सात पूत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया है । चूँकि अनुसूचित जनजाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावशील नहीं है अतः वादीगण गोतम के वारिसान होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 993 दिनांक 17.7.1971 द्धारा गलत दर्ज हो गये वारिसान कुरिया व वेसात का नाम हटाने संशोधन कराने के अधिकारी है ।

अतः वाद वादीगण स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर मौजा सागवाडा की जमाबन्दी संवत 2073 के खाता संख्या 248/226 कुल खेत किता 14 कुल रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा में खातेदारान के स्थान पर संशोधन किया जाकर दर्ज खातेदारान के नाम हटाए जाकर वादीगण का नाम दर्ज किए जाने आदेश दिया जाता है ।

डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.5.18 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा